<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>वि.आप.प्रक.कमांक—58 / 2012</u> संस्थित दिनांक—07.08.2012

- 1. श्रीमित मयूरी पित योगेन्द्र भोयर, जाति गोवारा, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 10, पानीटोला उकवा, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2. नवनीत पिता योगेन्द्र, जाति गोवारा, उम्र 03 वर्ष, नाबालिक वली मां श्रीमित मयूरी भोयर, निवासी वार्ड नम्बर 10, पानीटोला उकवा, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

// विरूद्ध //

योगेन्द्र पिता शिवदयाल, उम्र 28 वर्ष, जाति गोवरा, निवासी–वार्ड नम्बर 6 उकवा, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

_ _ _ _ _ _ <u>अनावेदक</u>

// <u>आदेश</u> //

(आज दिनांक-07/08/2014 को पारित)

- 1— इस आदेश द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा—125 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरण—पोषण राशि का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— प्रकरण में यह महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका क्रमांक—1, अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नि है तथा उनके दामपत्य जीवन के संसर्ग से आवेदक क्रमांक—2 उत्पन्न हुआ। आवेदका क्रमांक—1 वर्तमान में अपने पुत्र के साथ मायके में निवासरत् है।
- 3— आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में यह है कि आवेदिका क्रमांक—1 को विवाह के एक वर्ष पश्चात् से अनावेदक द्वारा दहेज की मांग को लेकर क्रूरता पूर्वक मारपीट कर परेशान करने लगा। आवेदिका ने अपने माता—पिता को उक्त के संबंध में जानकारी दी जिस पर समाज के लोगों के द्वारा अनावेदक को समझाईश दी गई, जिस पर अनावेदक ने आवेदिका क्रमांक—1 को किराये के घर में कुछ दिन तक रखा उसके बाद उसको छोड़कर अनावेदक माता—पिता के पास चला गया और दिनांक—08.05.2012 को आवेदिका को मारपीट कर घर से निकाल दिया तब से आवेदिका अपने पुत्र नवनीत के साथ मायके में माता—पिता के संरक्षण में निवास कर

रही है। अनावेदक ने आवेदकगण का भरण—पोषण की व्यवस्था नहीं की तथा आवेदकगण अपना भरण—पोषण करने में असमर्थ है। अनावेदक सेन्ट्रल बैंक शाखा सोनपुरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कार्यरत् होकर पार्ट टाइम एमवे कम्पनी में मार्केटिंग का भी कार्य करता है, जिससे उसे लगभग 15,000/—रूपये आय प्राप्त होती है। अतएव आवेदकगण को 7,000/—रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण राशि अनावेदक से दिलाया जावे।

4— अनावेदक ने उक्त आवेदन के जवाब में स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुये व्यक्त किया है कि उसने आवेदिका कमांक—1 से दहेज की मांग नहीं की और न ही उसके लिए कभी मारपीट की है। पक्षकारगण् के मध्य विवाह के पूर्व प्रेम संबंध थे तथा बाद में सामाजिक रीति—रिवाज से उनका विवाह हुआ था। आवेदिका अपने माता—पिता की इकलौती पुत्री है तथा वह अनावेदक को घर दामाद बनाकर रखना चाहती है। अनावेदक द्वारा घर दामाद बनने से इंकार करने पर आवेदिका अपनी मर्जी से मायके में निवास कर रही है। आवेदिका एमवे कम्पनी में मार्केटिंग कम्पनी में कार्य कर एवं सिलाई का कार्य कर आय अर्जित करती है तथा अपना व पुत्र का भरण—पोषण करने में सक्षम है। अतएव आवेदकगण का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण के निराकरण हेतू निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि :--

- 1. क्या आवेदिका क्रमांक—1 पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है ?
- क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदकगण के भरण—पोषण में उपेक्षा बरत रहा है ?
- 3. क्या आवेदकगण, अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार है ?

विचारणीय बिन्दु कं.-1 से 3 पर एक साथ सकारण निष्कर्ष :-

6— आवेदिका मयूरी (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किया है कि अनावेदक से विवाह के पश्चात् से अनावेदक ने दहेज की मांग को लेकर उसे गाली—गलौच और मारपीट करना प्रारम्भ कर दिया। समाजवालों की मिटिंग बुलाये जाने पर समझाईश देने पर अनावेदक अपने माता—पिता से अलग होकर आवेदिका को रखा, किन्तु उसके द्वारा उसे मारपीट करना नहीं छोड़ा। वर्ष 2009 में आवेदक कमांक—2 नवनीत उत्पन्न हुआ। अनावेदक दिनांक—8 मई 2011 को सामान लेकर अपने माता—पिता के घर चला गया और वह अपने मायके आ गई। उसके पास आय का कोई साधन नहीं है तथा वह अपने पिता पर आश्रित है। अनावेदक सेन्ट्रल बैंक में कार्य करते हुए 10,000/—रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता है और इसके

अतिरिक्त एमवे का काम करते हुए 5,000 / —रूपये प्रतिमाह कमाता है। अनावेदक ने आज तक उनके भरण—पोषण की व्यवस्था नहीं की।

- 7— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह सिलाई—कढाई जानते हुए भी उक्त कार्य नहीं कर रही है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसकी साक्ष्य का खण्डन महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।
- आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्षी आवेदिका का पिता फत्तूलाल 8-(आ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आवेदिका क्रमांक-1 और अनावेदक आपस में पति-पत्नि है। अनावेदक के द्वारा पैसे की मांग करने व मारपीट करने के कारण आवेदिका अपने माता-पिता के यहां निवासरत है। उभयपक्ष के विवाद के संबंध में सामाजिक बैठक में उभयपक्ष को समझाईश दी गई थी, जिस पर वे लोग किराये के मकान में अलग से रह रहे थे। अनावेदक ने किराये के मकान में अलग रहते हुए भी आवेदिका को मारपीट कर निकाल दिया। आवेदक क्रमांक-2 नवनीत अनावेदक को पुत्रो है, जो वर्तमान में आवेदिका के पास निवासरत् है। अनावेदक सेन्ट्रल बैंक में नौकरी कर एवं एमवे कम्पनी में मार्केटिंग का कार्य कर प्रतिमाह 15,000 / -रूपये कमाता है। आवेदकगण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह अनावेदक को अपने घर में रखना चाहता था और अपनी माईन्स की नौकरी देना चाहता था, उसकी पुत्री वर्तमान में ब्यूटी पार्लर एवं सिलाई-कढ़ाई का कोर्स कर रही है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आवेदिका अपना स्वयं का भरण-पोषण कर रही है। साक्षी के कथन का प्रतिपरीक्षण में अनावेदक की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।
- 9— अनावेदक योगेन्द्र (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किया है कि आवेदिका उसकी विवाहित पत्नि है। आवेदिका महिने में एक हप्ते निवास करती थी और बार—बार मायके चली जाती थी। उसके ससुर उसे घर दामाद रखना चाहते थे और अपनी लडकी को ससुराल नहीं भेजते थे, उक्त के संबंध में सामाजिक मिटिंग रखी गई थी, जिसके पश्चात् आवेदिका उसके साथ अलग निवास करने लगी, किन्तु पुनः मायके जाने की जिद पर उनके मध्य विवाद हुआ और आवेदिका मायके में निवास करने लगी। उसने आवेदिका को लाने के लिए उसके मायके गया और परिवार परामर्श केन्द्र भी गया, किन्तु आवेदिका नहीं आयी। आवेदिका अपना भरण—पोषण करने में सक्षम है।
- 10— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि समाज के लोगों द्वारा उसे समझाईश दी गई थी कि वह अलग किराये के कमरे में आवेदिका को लेकर

निवास करे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह सेन्ट्रल बैंक शाखा उकवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करता है। साक्षी ने एमवे मार्केटिंग कम्पनी से आय प्राप्त होने से इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आवेदिका के एमवे कम्पनी से संबंधित दस्तावेज को अधिकारी से सत्यापित नहीं कराया।

- 11— अनावेदक साक्षी मगडूलाल (आ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आवेदिका उसकी साली की लड़की है और वह उसके माता—पिता के घर के सामने रहता है। आवेदिका की माँ, अनावेदक को घर दामाद रखना चाहती थी, जिसके संबंध में सामाजिक मिटिंग रखना चाहती थी, जिसमें यह समझाईश दी गई थी कि आवेदिका एवं अनावेदक एक साथ अलग कमरा किराये का लेकर रहे, जिस पर वे लोग किराये के मकान में निवास करने लगे, किन्तु आवेदिका अपने मायके में वापस आकर रहने लगी। आवेदिका से सिलाई—कढ़ाई का काम करके 100 / —रूपये रोज कमा लेती है और ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए बालाघाट जाती है।
- 12— साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अनावेदक सेन्ट्रल बैंक शाखा उकवा में दैनिक वेतन भोगी के पद पर है। साक्षी के यह भी कथन है कि आवेदिका सिलाई का कार्य करते हुए नियमित रूप से आय अर्जित नहीं करती।
- उभयपक्ष की सम्पूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आवेदिका और अनावेदक के मध्य विवाद होने पर सामाजिक बैठक में समाज के लोगों के द्वारा समझाईश दिये जाने पर अनावेदक ने आवेदिका को अपने साथ अलग मकान में रखा, किन्तु उसके बाद भी उभयपक्ष के मध्य दामपत्य संबंध ठीक नहीं रहे। आवेदिका मयूरी (अ.सा.1) की इस संबंध में साक्ष्य अखण्डित रहीं है कि अनावेदक के द्वारा उसे मारपीट करन से आवेदिका परेशान होकर मायके में रह रही है। इस प्रकार आवेदिका कमांक—1 मजबूरन अपने मायके में पुत्र आवेदक कमांक—2 के साथ निवासरत् है और मायके में रहने के दौरान आवेदकगण का अनावेदक ने भरण—पोषण की व्यवस्था नहीं की। आवेदिका कमांक—1 का अनावेदक से पृथक निवास करने का पर्याप्त कारण प्रकट होता है।
- 14— उभयपक्ष की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि अनावेदक सेन्ट्रल बैंक में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत् हैं। अनावेदक को उक्त नौकरी से वेतन प्राप्त होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदिका ने मौखिक साक्ष्य में 15,000/—रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होना प्रकट किया है। जबिक अनावेदक ने अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्य से इंकार कर केवल 2,000/—रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होने के कथन किया है। अनावेदक ने स्वयं भी वेतन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है और न ही मौखिक साक्ष्य में वास्तविक वेतन प्राप्त होने के कथन किये है। ऐसी दशा में अनावेदक के बैंक में दैनिक वेतन भोगी के रूप में प्रतिमाह 6,000/—

रूपये आय प्राप्त होने की उपधारणा की जा सकती है। इस प्रकार अनावेदक अपना एवं आवेदकगण का भरण—पोषण करने में सक्षम व्यक्ति है। अनावेदक पर आवेदकगण के अलावा अन्य व्यक्ति के भरण—पोषण की जिम्मेदारी होने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक आवेदिका के द्वारा सिलाई एवं कढाई का कार्य कर आय अर्जन करने का प्रश्न है इस संबंध में अनावेदक ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है तथा उक्त कार्य से आवेदिका के नियमित रूप से आय अर्जित करना प्रकट नहीं होता। यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाये कि आवेदिका स्वयं कार्य कर कुछ आय अर्जित करती है, तब भी अनावेदक का आवेदकगण के भरण—पोषण करने का विधिक दायित्व है, जिससे वह बच नहीं सकता।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता हैं कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है तथा अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिका के भरण—पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। इस कारण आवेदकगण, अनावेदक से प्रतिमाह भरण—पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार है। आवेदकगण को अनावेदक की पत्नी एवं संतान के रूप में ऐसा जीवन स्तर के निर्वहन का अधिकार है, जो कि न तो विलासिता पूर्ण हो और न ही अभाव ग्रस्त बिल्क वे अनावेदक के सामाजिक स्तर व चित्र के अनुसार सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके।

16— उपरोक्त संपूर्ण कारणों से आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा— 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर पक्षकारगण के सामाजिक व जीवन यापन स्तर तथा वर्तमान परिस्थित को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि भरण—पोषण के रूप में आवेदिका क्रमांक—1 को राशि 1,000/—(एक हजार रूपये) तथा आवेदक क्रमांक—2 को राशि 800/—(आठ सौ रूपये) प्रतिमाह आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट